न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 23/2023 बउनवानी मुकेश कुमार सैन बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र0अ0 जिला अभिलेखागार
वार्ड नम्बर 7, मुनिम मोहल्ला कोटपाडा बौली, तहसील बौंली तहसीलदार बौंली
GCMS No-2023/43

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.6.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं प्र0अ0 अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं तहसीलदार बौंली **की ओर से पैरोकार** राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 4.1.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. भूमि विक्रय (रजिस्ट्री) करवाने की नियमावली की कुछ प्रतियॉ एवं कुछ दस्तावेज मांगे गये है जिसे कार्मिक व अधिकारी उपलब्ध नही करवा रहे है। 2. भूमि विक्रय होने के बाद नामा0 खुलने मे कितना समय लगता है। उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर/तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर/ तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के पत्रांक 18दिनांक 26.6.2023 से अवगत कराया कि वांछित सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला अभिलेखागार मे जमा करवाया जा चुका है इसलिए उक्त सूचना जिला अभिलेखागार से उपलब्ध करवाने बाबत पत्रां पंजीयन/21/360 दिनांक 3.2.2021 से प्र.अ. अधिकारी जिला अभिलेखागार को लिखा जा चुका है। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के जवाब नोटिस क्रमांक 45 दिनांक 28.3.23 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.1.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना पंजीयन से संबंधित होने व प्रश्नात्मक प्रकृति की होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है किन्तु न्यायहित मे प्र0अ0 अभिलेखागार द्वारा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना दिया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली पर शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:37:32 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर